राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (भू0अ0) भीलवाड़ा

क्रमांकः प.1(ख)2 क2(1)/भू.अ./स्था./2019/ 68987 दिनांक : 16.07.2019

–ःआदेशः–

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांकः राम/भू0अ0/परीक्षा/प–279/2017/8924–56 दिनांकः 10.07.2019 के क्रम में, राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम–4 के अन्तर्गत, सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा–2015 से चयनित होकर इस जिले को आवंटित निम्न अभ्यर्थियों को पटवारी पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए प्रोबेशन ट्रेनी के रूप में नियुक्ति दी जाती हैं।

क. सं.	रोल नम्बर	नाम पटवारी मय पिता का नाम	जन्म दिनांक
1	102308	अजय सिंह/जबर सिंह	30 नवम्बर, 1993
2	108898	भागेन्द्र सिंह शक्तावत/प्रहलाद सिंह शक्तावत	07 जुलाई, 1996
3	113340	अशोक चौधरी/सूरज नारायण चौधरी	02 फरवरी, 1991
4	127964	महेश सिंह गुर्जर/रामेश्वर प्रसाद गुर्जर	20 जुलाई, 1989
5	130283	हंसा चौधरी/जगदीश चौधरी	25 अगस्त, 1986
6	138561	विनोद कुमार/लाला राम	30 जून, 1979
7	143821	ज्योति नायक/भंवर लाल नायक	01 अगस्त, 1991
8	145980	कविता देवी उबाना/बाबू लाल उबाना	05 जनवरी, 1988
9	165974	जगदीप राजौरिया/रामेश्वर लाल	15 सितम्बर, 1986
10	167073	विनोद कुमार/राम सिंह	15 जंनवरी, 1982
11	171599	बजरंग लाल सैनी/हर चन्द सैनी	14 जुलाई, 1978
12	173886	अनिल चौधरी/सूरजकरण चौधरी	20 अप्रैल, 1996
13	182564	अंजली शर्मा/अमरदीप शर्मा	13 मार्च, 1997
14	186976	करिश्मा चौहान/फूल चन्द	21 जून, 1997
15	187420	ओम प्रकाश शर्मा/बद्री प्रसाद शर्मा	07 अगस्त, 1989
16	204052	हंस राज गुर्जर/गिर्राज प्रसाद गुर्जर	08 मई, 1993

उक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन दी जाती हैं–

1. नियुक्ति आदेश प्रसारित होने के उपरान्त नियुक्त पटवारी (प्रोबेशन ट्रेनी) को तत्काल भू–अभिलेख अनुभाग जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत करनी होगी।
2. उक्त कार्मिकों को परिवीक्षाकाल में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम दरों अनुसार नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रू. 14600/– मासिक संदत्त किया जायेगा एवं परिवीक्षा की कालावधि में कोई वेतनवृद्धि, विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं अन्य किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
3. उक्त नियुक्ति राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 4 एवं तत्पश्चात् समय–समय पर जारी अधिसूचना/निर्देशों/परिपत्रों के अध्यधीन शासित होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश, परिपत्र लागू होंगे।
4. उक्त प्रशिक्षु पटवारियों के प्रशिक्षण सत्र की अवधि 06 माह होगी तथा इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नियत पारिश्रमिक नियमानुसार प्रतिमाह की दर से दिया जायेगा। सत्र की सम्पूर्ण अवधि में विभागीय परीक्षा देने हेतु 75 प्रतिशत उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी।
5. उक्त अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण करते समय सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जावे।
6. उक्त नियुक्ति पर कार्मिक (क–2) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांकः–F.7(1) (कार्मिक) क–2/2001 दिनांक–20.06.2001 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक–F.13(3) FD/(rules) पेंशन/8/01 दिनांक–04.10.2001 के अनुसार दिनांक–01.06.2002 को या इसके पश्चात् किसी भी समय इनके दो या दो से अधिक सन्तान होने पर इन नियमों के अधीन कार्यवाही की जावेगी। इस सम्बन्ध में उपस्थिति के समय रू. 10/– के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर वर्तमान संतानों की संख्या एवं जन्म दिनांक अंकित करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
7. कार्मिक (क–2) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक–प.8 (1) कार्मिक (क–2) 2002 दिनांक–09.06.2003 के अनुसार उक्त नियुक्ति पर अशंदायी पेंशन योजना लागू होगी। वित्त विभाग की अधिसूचना

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

क्रमांक–F.1(4) FD/(rules)/2017 जयपुर दिनांक–30.10.2017 के अनुसार परिवीक्षा अंवधि में नियमानुसार एन.पी.एस. की कटौति की जायेगी।

8. वित्त अनुभाग की अधिसूचना क्रमांक–F.12 (6) FD/(rules)/2005 जयपुर दिनांक–13.03.2006 के अनुसार उपरोक्त नियुक्त कार्मिक दो वर्ष (Two Year) की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगें तथा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने के पश्चात् पटवारी पद की सेवाएं नियमित करने की कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के पश्चात् होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता हैं, तो उसकी सेवाएं नियमित नहीं की जायेगी।
9. कार्मिक की नियुक्ति से परिवीक्षाकाल के दौरान राज्य बीमा की राशि की कटौती नहीं की जायेगी।
10. परिवीक्षाकाल के दौरान एक कैलेण्डर वर्ष में 15 (Fifteen) दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा।
11. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक–F-6(5) FD/(rules) 2004 दिनांक–27.07.2004 के अनुसार कार्मिक पर मेडिक्लेम बीमा आवरण योजना लागू होगी।
12. पटवारी के पद पर अन्तिम रूप से चयनित इन अभ्यर्थियों का पदस्थापन एंस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14189/2017 संतोष राव बनाम सरकार व अन्य, 15198/2017 दौलतसिंह राठौड़ बनाम सरकार व अन्य, 15680/2017 रोहिताश योगी बनाम सरकार व अन्य, 16346/2017 विनोद कुमार बनाम सरकार व अन्य, 16346/2017 नरेन्द्रसिंह राजपूत बनाम सरकार व अन्य, 16538/2017 बजरंग लाल सैनी बनाम सरकार व अन्य, 16538/2017 विनोद कुमार बनाम सरकार व अन्य, 17009/2017 कैलाश चन्द स्वामी बनाम सरकार व अन्य, 13333/2017 हीराराम बनाम सरकार व अन्य, 13327/2017 अमानाराम चौधरी बनाम सरकार व अन्य, 21426/2017 दशरथ चौहान बनाम सरकार व अन्य, 15962/2017 सोहनराम बनाम सरकार व अन्य, 2112/2018 कमलसिंह बनाम सरकार व अन्य, 2112/2018 लालसिंह बनाम सरकार व अन्य, 16263/2018 मेघा सक्सेना बनाम सरकार व अन्य, 12769/2018 अंतिम बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय के अध्याधीन रहेगी।
13. उक्त नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरान्त यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह तक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं होता हैं, तो उसका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
14. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रशिक्षणार्थी को इस आशय का अनुबन्ध पत्र (बॉण्ड) हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण उपरान्त राज्य सरकार के अधीन पटवारी के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवाऐं अर्पण करनी होगी अन्यथा प्रशिक्षण पर खर्च की गई धन राशी राज्य सरकार को लौटानी होगी। इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्र क्रमांक राम/भू. अ./परीक्षा/प–224/10/2363–95 दिनांक 14.02.2019 से जारी निर्देश लागू रहेगें।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

क्रमांक–सम/ 68988-69029
दिनांक: 16.07.2019

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर।
3. निदेशक, राजस्व प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, अजमेर।
4. उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग, भीलवाड़ा।
5. कोषाधिकारी भीलवाडा।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि उक्त अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जॉच कर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आज ही उपलब्ध करावें।
7. प्रधानाध्यापक, पटवार प्रशिक्षण शाला, जोधपुर।
8. ए.सी.पी., सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि आदेश को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. संबंधित प्रोबेशनर ट्रेनी पटवारी...।
10. निजी पंजिका ....।
11. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा